

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 876] No. 876] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2018/अग्रहायण 16, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2018/AGRAHAYANA 16, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

सा.का.िन. 1186(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) 30 जुलाई, 2018 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 721(अ), तारीख 30 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, पैतालीस दिन की अविध के अवसान के पूर्व, आक्षेप और सुझाव आंमित्रत किए गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 3 अगस्त, 2018 को उपलब्ध हो गई थीं;

और, उक्त नियमों पर जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है:

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (नौवां संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

7175 GI/2018 (1)

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में, नियम 127 के उप-नियम (2) के अंत में, निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया जाएगा, अर्थात:-

"जिलेटिन कैप्सूल को छोड़कर जिसमें अनुमोदित या अनुमत रंग का उपयोग किया जाएगा" ।

[एफ.सं. एक्स.11014/15/2018-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

मूल नियम अधिसूचना संख्या एफ.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1161(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare) **NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2018

G.S.R. 1186(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published as required under section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number G.S.R. 721(E), dated the 30th July, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 3rd August, 2018;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Ninth Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 127, in sub-rule (2), at the end, the following words 2. shall be inserted, namely:-

"except gelatine capsules wherein approved or permitted colour shall be used".

[F. No. X.11014/15/2018 -DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number F.28-10/45-H (1), dated the 21st December, 1945 and last amended vide notification number G.S.R. 1161(E), dated the 3rd December, 2018.